वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 180/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-21.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 21.05.2025 को ***थाना फूलपुर पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की टीम द्वारा लूट की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्जनपदीय 01 लूटेरा अभियुक्त दीपांकल तिवारी को गिरफ्तार*** **किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से *लूट की धनराशि का 40,050/- रूपयें व अवैध असलहा व कारतूस*** बरामद किया गया।

थाना-फूलपुर

लूट की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अन्तर्रजनपदीय 01 लुटेरा गिरफ्तार।

लूट की धनराशि 40,050/- रुपये नगद ,एक अदद तंमचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 15-**04-2025** को वादी मुकदमा **धर्मेन्द्र कुमार आर्य पुत्र स्व0 रुपचन्द राम, ग्राम सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ** ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15.04.2025 को समय 12 बजे से 12.15 के बीच वादी अपनी पत्नी के साथ पलिया बाजार स्थित बडौदा यू0पी0 ग्रामीण बैंक से **एक लाख रुपया रुपये** निकालकर अपनी स्कूटी से घर जा रहा था, कि **खन्जहाँपुर से सैदपुर रोड पर थोड़ी दूर बढ़ा था**, कि पीछे की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति किसी चीज से मेरी पत्नी के सिर पर मार दिये जिससे मेरी गाड़ी लड़खडा कर गिर गयी और पत्नी के पहने हुए गले की सोने की चेन,पर्स दोनों अज्ञात व्यक्ति छीन लिये, जिसमे बैंक से निकाला हुआ **एक लाख रुपया**, **एक मोबाइल** vivo **कम्पनी** जिसमें जियो सिम 6393**xxxxxx,** 945355**xxxxx** का लगा है तथा पासबुक,स्कूल की चाभी थी लेकर चले गये, के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 196/25 धारा 309(6) भादवि** बनाम मोटर साईकिल पर सवार दो बदमाश नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम विन्द द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में दो अभियुक्तों **01. सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर, निवासी ग्राम उर्नुखा, थाना अखण्डनगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 20 वर्ष 02. दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी, निवासी चौबहा, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर** का नाम प्रकाश में आया। जिसमें से **दिनांक 10.05.2025** को अभियुक्त **सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर, निवासी ग्राम उर्नुखा, थाना अखण्डनगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 20 वर्ष** की गिरफ्तारी की जा चुकी है, तथा अभियुक्त **दीपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी, निवासी चौबहा, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर फरार** चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

आज **दिनांक 15.05.2025** को **व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह** को मुखबिर से सूचना मिली कि दिनांक 15.04.2025 को खानजहाँपुर में लूट की घटना में वांछित अभियुक्त **दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी, निवासी चौबहा, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर** जो **बिलारमऊ ढाबा** के पास खड़ा है। प्राप्त सूचना के आधार पर हम पुलिस वालों द्वारा **बिलारमऊ ढाबा** के पास से **समय करीब 02.50 बजे** अभियुक्त दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से **एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद मिश कारतूस 315 बोर तथा 40,050 रूपये नगद** बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15.04.2025 को दोपहर के समय मैं सत्यम के साथ अंबारी की तरफ जा रहा था तो देखा कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति एक महिला को पीछे बैठाकर शाहगंज की तरफ जा रहा था, लूट के इरादे से हम लोग अपनी गाड़ी मुडाकर पीछा किये, तभी एक व्यक्ति जो स्कूटी पर महिला को बैठाये हुए था खानजहाँपुर से गाँव की तरफ मुड़ गया, हम लोग पीछे लगे रहे, सूनसान स्थान देखकर मैनें चलती हुई गाडी से महिला के गले का चैन खींच लिया, जिससे महिला स्कूटी से नीचे गिर गयी। मैंने महिला का चैन व उसका लेडीज पर्स छीन लिया तथा महिला के विरोध करने पर उसके सिर पर कट्टे के मुठिया से मार दिया, तथा शाहगंज की तरफ भाग गये। पर्स में हम लोगों को एक लाख रुपया नगद तथा बैंक के कागज व एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल व पर्स को हम लोगों ने रास्ते में ही फेंक दिया। इसके बाद मैं, सत्यम राजभर के साथ अपने घर चौबहा गया। मैंने एक लाख रुपये में से चालीस हजार रुपया सत्यम राजभर को दिया तथा 60,000 रूपये अपने हिस्से में ले लिया था तथा चैन को मैने सुल्तानपुर में फेरी वाले को 20,000 रूपये में बेच दिया हूँ। यह सारा पैसा मैं अपने पास रखा था, बरामद पैसों में से 27150 रूपये खंजहापुर में किये गये घटना का है तथा उस घटना के शेष रूपये मेरे द्वारा अपनी जरूरतों पर खर्च कर दिया गया। अन्य रूपयों के बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि **मार्च 2025** में हम दोनों ने मिलकर थाना बक्सा जनपद जौनपुर में **रात्रि लगभग 21.00 बजे नौपेड़वा हाइवे मईल मोड के पास** एक मोटरसाइकिल सवार दम्पत्ति से चैन व बैग झपट्टा मारकर छीन लिये थे जिसका बैग, मोबाइल तथा कागज रास्ते में ही फेक दिये। बैग में 5,000 रूपये नगद मिला था तथा लूट की चैन को मैने 20,000 में बेचा था, कुल 25,000 रूपये में से सत्यम राजभर को मैने 12,000 रूपये हिस्सा दिया था व 13,000 रूपये मैने खुद लिया था, मेरे पास बरामद रूपयों में से 5,000 रूपया थाना बक्सा जनपद जौनपुर में की गयी घटना का है तथा शेष रूपया खर्च हो गया। शेष बचे 7,900 रूपये के बारे में कड़ाई से पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैनें अपने भाई कुलदीप तिवारी व साथी सत्यम राजभर के साथ मिलकर लाइन बाजार जौनपुर से दिनांक 29.04.2025 को समय लगभग 09.30 बजे वाराणसी-लखनऊ हाईवे ओवरब्रिज के पास एक मोटर साइकिल सवार पुरुष व महिला को रोककर सोने-चाँदी का आभूषण व 12,00 रूपये छीन लिया था, छीने गये आभूषण को मैंने सुल्तानपुर बाजार में फेरी वाले को 60,000 रूपये में बेच दिया था, जिसमें से 21,200 रूपये मैने अपने पास रख लिया तथा 20,000-20,000 रूपये सत्यम व कुलदीप को दे दिया। जिसमें मेरे पास उस घटना का 7,900 रूपये बचा है बाकी रूपये खर्च हो गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु**0**अ**0**सं**0** 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. मु**0**अ**0**सं**0** 260/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़।

अनावरण अभियोगों का विवरणः-

01. मु**0**अ**0**सं**0** 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर
02. मु0अ0स0 88/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर
03. मु0अ0स0 173/2025 धारा 304/351(3) बीएनएस थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहासः-

दिपांकल तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा उम्र 21 वर्ष थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर

1 मु0अ0सं0 **158/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना सरपतहाँ जौनपुर**
2. मु0अ0सं0 189/2022 धारा 307 भादवि0 थाना सरपतहाँ जौनपुर
3. मु0अ0सं0 206/2022 धारा 307/394/411 भादवि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
4. मु0अ0सं0 231/2022 धारा 34/307/115/411 भादवि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
5. मु0अ0सं0 238/2022 धारा 25/9 शस्त्र अधि0 थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर
6. मु0अ0स0 653/24 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस थाना अकबरपुर अम्बेडकरनगर
7. मु0अ0सं0 196/2025 धारा 309(6)/317(2)बीएनएस थाना फूलपुर
8. मु0अ0स0 88/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर
9. मु0अ0सं0 260/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना फूलपुर
10. मु0अ0स0 173/2025 धारा 304/351(3) बीएनएस थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर

फरार अभियुक्तः-

01.कुलदीप तिवारी पुत्र सुनील तिवारी, निवासी चौबहा, थाना सरपतहाँ, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. **लूट की धनराशि 40050/- रुपया नगद**
2. **एक अदद तंमचा 315 बोर**
3. **01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर**
4. **01 अदद मिस कारतूस 315 बोर**

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना-फूलपुर	स्वाट टीम	सर्विलांस सेल
01. व0उ0नि0 गंगा राम विन्द **02.** उ0नि0 उमाशंकर यादव **03.** उ0नि0 अजीज खान **04.** उ0नि0 रज्जन द्विवेदी **05.** हे0का0 निजामुद्दीन **06.** का0 अभिषेक **07.** का0 आदेश यादव **08.** का0 आलोक सिंह **09.** का0 अनुपम सिंह	**01.** उ0नि0 मनीष पाल **02.** हे0का0 धर्मेन्द्र यादव **03.** का0 अरुण पाण्डेय **04.** का0 अवनीश सिंह	01. उ0नि0 अतुल मिश्र 02. हे0का0 चन्द्रमा मिश्रा